

18/12

पत्रावली पेश हुई / S.D.C. 94 पत्रावली के अन्तर्गत
..... में होने से पत्रावली दिनांक 22/1/18
को पेश है।

जाह्न से
शिवर

22/18

पत्रावली पेश हुई / S.D.C. 94
..... में होने से पत्रावली दिनांक 21/3/18
को पेश है।

जाह्न से
शिवर

21/3/18 पत्रावली पेश हुई / वकील अम
पक्ष अधिवक्ता / वकील शार्वर्या एवं वकील
अश्वर्या की बहल चुनी गई। वकील
शार्वर्या द्वारा बताया गया कि शार्वर्या
पूर्व में हमेशा अधिवक्ता के रूप में कार्य करती
थी किन्तु पत्रावली के अन्तर्गत
आपके द्वारा केस में नामित होने की
जगह भी किन्तु पत्रावली के अन्तर्गत
नहीं आयी और अहम दायी खातिज
की गई। दायी खातिज वकील
शार्वर्या को कानून के अन्तर्गत
दिए गए शार्वर्या पर स्वीकार किया जावे
वकील अश्वर्या द्वारा बताया गया कि
पूर्व में भी दायी खातिज अहम दायी खातिज
हुआ अब भी अहम दायी खातिज
हुआ है। बार-बार अहम दायी खातिज

बेना अहस्त का किमती पत्र अद्य क्लरा है। अतः धर्तना
पर निरस्त करमाया जावे।

हमे धर्तना का अद्योऽगत के विज्ञान क्लरों की
बदल पर मनन किया कि उपलब्ध क्लरों का अद्योऽगत
किया। न्यायवित्त में धर्तना का धर्तना पर स्वीकार
करा उचित समझे हैं।

अतः धर्तना पर धर्तना स्वीकार का आदेश दिया
जाए कि अद्योऽगत पुनः पूर्व स्टेज पर नम्बर पर लया
जाकर फाइल में केवल शुमार हो।


SPO.